न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 30/2020 (2020/00139)

तारीख दायरा–23.07.2020

तारीख निर्णय–25.01.2021

1. श्रीमती रमली बाई पत्नी शंकरलाल कुम्हार निवासी कुन्दवों का गुडा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा कुन्दवों का गुडा पटवार हल्का ब्राहम्णों का कलवाणा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के आराजी संख्या 1236 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 1237 रकबा 0.0100 एवं आराजी संख्या 1238 रकबा 0.0650 कुल किता 3 रकबा 0.0950 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी संख्या के पुर्व में दो साबिक नम्बर 557 एवं 558 थे जिनका रकबा 0.0950 है0 था। साबिक नम्बर में पुर्व में कोई भी रास्ता दर्ज नही था परन्तु भु– प्रवन्ध विभाग द्वारा गलती से नये नक्शें में रास्ता अंकित कर दिया हाल के आराजी संख्या 1237 जों प्रार्थीया के खाते दर्ज है परन्तु हाल नक्शें में उक्त आराजीयात नम्बर में रास्ते से मिलाकर रास्ता अंकित कर दिया गया है जो पुनः हटाया जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में [illegible] कर निवेदन किया कि मौजा कुन्दवों का गुडा के आराजी संख्या 1236,1237,1238 [illegible] 3 रकबा 0.0950 है0 भूमि खातेदार श्रीमती रमलीबाई पत्नी [illegible] 1/2 [illegible] श्रीमती लेहरीबाई पत्नी [illegible]ज कुम्हार के 1/2 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उपर[illegible] आराजीयात के बन्दोब[illegible] पुर्व साबिक आराजी नम्बर 557 एवं 558 होकर साबिक आराजी का रकबा 0.0950 है0 भूमि ही था। उक्त दोनो साबिक नम्बर से ही वर्तमान में तीन आराजी संख्या बने है। आराजी संख्या 1237 रास्ते के आराजी संख्या 1242 से जुडा हुआ है। जिससे यह आराजी संख्या 1237 नक्शें में रास्ते जैसा प्रतित होता है। परन्तु मौके पर आराजी संख्या 1237 की किस्म खा0प्र0

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला–उदयपुर (राज.)

होकर कृषि उपयोग में आ रही है। मौके पर आराजी संख्या 1237 से जुडा हुआ रास्ता है, जो कि आबादी भूमि में होकर आने जाने हेतु पर्याप्त है। आराजी संख्या 1237 रकबा 0.0100 है0 भूमि राजस्व नक्शे में रास्ते जैसा प्रतीत होता है, परन्तु मौके पर यह भूमि कृषि होकर किस्म खा0प्र0 दर्ज है जिसे दुरस्त किया जाना चाहीए। मौके पर प्रार्थीया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीगण की मौजा कुन्दवों का गुडा के आराजी संख्या 1236,1237,1238 कुल किता 3 रकबा 0.0950 है0 भूमि खातेदार श्रीमती रमलीबाई पत्नी शंकरलाल 1/2 एवं श्रीमती लेहरीबाई पत्नी खेमराज कुम्हार के 1/2 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त आराजीयात के बन्दोबस्त से पुर्व साबिक आराजी नम्बर 557 एवं 558 होकर साबिक आराजी का रकबा 0.0950 है0 भूमि ही था। उक्त दोनो साबिक नम्बर से ही वर्तमान में तीन आराजी संख्या बने है। आराजी संख्या 1237 रास्ते के आराजी संख्या 1242 से जुडा हुआ है। जिससे यह आराजी संख्या 1237 नक्शें में रास्ते जैसा प्रतित होता है। परन्तु मौके पर आराजी संख्या 1237 की किस्म खा0प्र0 होकर कृषि उपयोग में आ रही है। मौके पर आराजी संख्या 1237 से जुडा हुआ रास्ता है, जो कि आबादी भूमि में होकर आने जाने हेतु पर्याप्त है। आराजी संख्या 1237 रकबा 0.0100 है0 भूमि राजस्व नक्शे में रास्ते जैसा प्रतीत होता है, परन्तु मौके पर यह भूमि कृषि होकर किस्म खा0प्र0 दर्ज है जिसे दुरस्त किया जाना चाहीए। प्रार्थीया वादग्रस्त भुमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। पेरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज दुरस्त करना उचित है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पेरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कुन्दवों का गुडा के आराजी संख्या 1237 नक्शें में रास्ते जैसा प्रतित होता है, परन्तु मौके पर आराजी संख्या 1237 की किस्म खा0प्र0 होकर कृषि उपयोग में आ रही है, हाल नक्शे में आराजी संख्या 1237 आराजी संख्या 1257 से जुडा होकर रास्ता जैसा प्रतित होता है, आराजी संख्या 1237 रकबा 0.0100 है0 भूमि राजस्व नक्शे में रास्ते जैसा प्रतीत होता है, जिसे हाल जमाबन्दी के आराजी संख्या 1257 से विभक्त कर अलग– अलग किये जा कर दोनो आराजीयात [illegible] लाईन डाल कर दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार [illegible] को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे [illegible]रा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)